भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1816
10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ
फसल विविधीकरण

1816. डॉ. धर्मवीर गांधीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने पंजाब की गेहूं-धान फसल चक्र पर निरंतर अत्यधिक निर्भरता से उत्पन्न होने वाले बढ़ते राजकोषीय जोखिम और कृषि संकट का आकलन किया है, जिसके कारण राज्य और केंद्र सरकार दोनों पर सब्सिडी का बोझ बढ़ रहा है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार का इस निर्भरता को कम करने के लिए पंजाब में फसल विविधीकरण हेतु बढ़ी हुई और सुनिश्चित राजकोषीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग) मूल हरित क्रांति राज्यों में गेहूं-धान फसल चक्र पर अत्यधिक निर्भरता के प्रभावों को दूर करने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग वर्ष 2013-14 से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पी.एम.-आर.के.वी.वाई.) के अंतर्गत फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सी.डी.पी.) कार्यान्वित कर रहा है। धान की खेती के लिए सीडीपी-कार्यक्रम हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित किया गया है, जिसका उद्देश्य अधिक पानी की खपत वाली धान की फसल के क्षेत्र को दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, कपास आदि जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर मोड़ना है। इसका मुख्य उद्देश्य धान की खेती में परिवर्तन और मिट्टी की उर्वरता को बहाल करने के लिए वैकल्पिक फसलों की उन्नत उत्पादन तकनीकों को बढ़ावा देना है।

सी.डी.पी. के तहत वैकल्पिक फसल प्रदर्शन, कृषि मशीनीकरण और मूल्यवर्धन, स्थल-विशिष्ट गतिविधियों और जागरूकता एवं क्षमता निर्माण आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। पंजाब राज्य को योजना की शुरुआत से ही सी.डी.पी. के अंतर्गत शामिल किया गया है ताकि किसानों को गेहूं-धान की फसल प्रणाली से बाहर निकलने में मदद मिल सके।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.) के तहत दलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज (श्री अन्न) जैसी फसलें उगाना, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)-तिलहन के तहत तिलहन और एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) के तहत बागवानी फसलें उगाना शामिल है। दलहन को अब दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पी.एम.-आर.के.वी.वाई.) के तहत राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के लिए राज्यों को अनुकूलता भी प्रदान करती है। राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.सी.) की मंजूरी से राज्य पी.एम.-आर.के.वी.वाई. के तहत फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रधानमंत्री-धन धान्य कृषि योजना का एक उद्देश्य फसल विविधीकरण है और इस योजना के अंतर्गत पंजाब सहित देश भर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों को शामिल किया गया है।

****